बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

मासिक प्रतिवेदन

जुलाई, 2023

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

(आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार)

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

विषय सूची **पेज नं.**

(A)	सुल्तानगंज, भागलपुर से देवघर तक कांवरिया पथ का सर्वेक्षण	**03**
(B)	डेटा का सही विश्लेषण और वाजिब इस्तेमाल जरूरी	**06**
(C)	छोटी डिवाइस ठनके से करेगी रक्षा	**08**
(D)	जागरूकता हेतु श्रावणी व मलमास मेले में नुक्कड़ नाटकों का मंचन	**09**
(E)	जीविका दीदियों को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से "मास्टर ट्रेनर्स" का प्रशिक्षण	**10**
(F)	"सुरक्षित तैराकी" कार्यक्रम के अंतर्गत बालक/बालिकाओं का प्रशिक्षण	**12**
(G)	एनसीसी शिविर में जागरूकता/संवेदीकरण एवं मॉकड्रिल	**13**
(H)	अनुभवी राजमिस्त्रियों के प्रशिक्षण हेतु एनएसडीसी से वार्ता	**14**
(I)	आईआईएससी, बेंगलुरु के विशेषज्ञों के साथ बैठक	**16**
(J)	बालासोर दुर्घटना के पीड़ितों की सेवा में मिशनरी उत्साह से लगा बीएसडीएम	**17**
(K)	रोडमैप व एक्शन प्लान को अपडेट करने का कार्य प्रगति पर	**20**
(L)	अस्पताल अग्नि सुरक्षा कार्यक्रम	**21**
(M)	जुलाई माह की व्यय विवरणी	**22**
(N)	जन–जागरूकता के लिए मास मैसेजिंग	**23**

(A) सुल्तानगंज, भागलपुर से देवघर तक कांवरिया पथ का सर्वेक्षण

विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला में कांवरिया पथ पर सुरक्षा तैयारियों और कांवरियों की सुविधा के लिए किए गए बंदोबस्त का जायजा लेने प्राधिकरण की चार सदस्यीय टीम ने दिनांक 15 से 21 जुलाई तक सुल्तानगंज से देवघर तक कांवरिया पथ का सर्वेक्षण किया जिसके प्रमुख बिन्दु निम्नलिखित हैं :

1. सुल्तानगंज के घाटों यथा नमामि गंगे घाट (जहाज घाट) एवं अजगैबीनाथ मंदिर घाट (सीढ़ी घाट) पर व्यवस्था का अवलोकन किया गया। स्नान व पूजा के लिए जल लेने हेतु चिह्नित घाटों के अतिरिक्त एक खतरनाक घाट पर लोग स्नान करते पाए गए ।
2. घाटों पर की जाने वाली सफाई को नियमित अंतराल पर लगातार किए जाने की आवश्यकता महसूस की गई।
3. यह जरूरी समझा गया कि श्रद्धालुओं तक जागरूकता संबंधी संदेशों को पहुंचाने के लिए सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली घाटों के समीप लगाए जाने चाहिए ।
4. घाटों पर नौका गश्तीदल के द्वारा मेगाफोन या अन्य उद्घोषणा प्रणाली से लगातार सावधानी बरतने संबंधी संदेशों को प्रसारित किया जाना चाहिए था।

5. पंप संचालित करने हेतु पावर बोर्ड को लोहे के फ्रेम पर निर्मित कांवरियों के ठहरने के लिए बने शामियाने पर बांधा गया है। इससे पूरे टेंट में कहीं भी बिजली का करंट दौड़ने और आग लगने की घटना हो सकती है ।
6. खतरनाक घाटों के लिए संकेतक (साइनेज) लगवाया जाना आवश्यक है।
7. घाटों पर राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) के साथ सामुदायिक स्वयंसेवकों एवं स्थानीय गोताखोरों की प्रतिनियुक्ति की गई है। यह प्रशंसनीय कार्य है।
8. अंचल अधिकारी, सुल्तानगंज को उल्लिखित आवश्यक कार्यों को सुनिश्चित करवाए जाने हेतु अवगत करा दिया गया है।

9. सुल्तानगंज से देवघर तक कांवरिया पथ पर जिला प्रशासन, भागलपुर, मुंगेर एवं बांका द्वारा की तैयारियों यथा जल, स्वच्छता, शौचालय स्वास्थ्य (चिकित्सा शिविरों) एवं ठहरने के लिए की गई व्यवस्था का अवलोकन किया गया। कांवरिया पथ पर की गई तैयारियां काफी संतोषजनक दिखीं।

10. सुल्तानगंज में बेतरतीब ढंग से बनी हुई दुकानें और यत्र–तत्र झूलते तार बिजली के गंभीर झटकों या बड़े अग्निकांड का कारण बन सकते हैं।

सुल्तानगंज में समूचे रास्ते में बिजली के तार दुकानों को छूकर गुजरते हैं जो कि अगलगी का बड़ा कारण बन सकते हैं। जगह–जगह पर पानी का पाइप बिजली के खम्भे में बंधा हुआ पाया गया, जो कभी भी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकता है। कुम्हारसार नदी (बांका जिला) अक्सर पानी से भरा रहता है। बिजली आपूर्ति हेतु बेतरतीब ढंग से बिजली का तार बांस के सहारे बांधकर नदी के ऊपर से ले स्थानीय दुकानदारों द्वारा ले जाया गया है, जिससे किसी भी वक्त कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है।

11. भूल भुलैया नदी के ऊपर सीमेंट का पक्का रोड बना दिया गया है, जिसके कारण बारिश में उस पर फिसलन हो जाती है और व्यक्तियों एवं वाहनों को चलने में काफी दिक्कत होती है। स्थानीय लोगों ने बताया कि इसके कारण एक व्यक्ति की मृत्यु भी हो चुकी है ।

12. चन्दन नदी में स्थानीय बस्ती ने ड्रेनेज खुला रखा है एवं उसमें कचरा भी डालते हैं। इससे कई प्रकार की बीमारियां फैल सकती हैं ।

प्राधिकरण स्तर से सुल्तानगंज के घाटों एवं पूरे कांवरिया पथ की वीडियोग्राफी भी कारवाई गई है, जिसका अवलोकन

करके अन्य आवश्यक जोखिम /खतरों को समय रहते दूर करने हेतु संबंधित जिला प्रशासन को आवश्यक सुझाव दिए जाएंगे।

(B) डेटा का सही विश्लेषण और वाजिब इस्तेमाल जरूरी

'आपदा प्रबंधन में नई तकनीक की उपयोगिता' विषय पर परिचर्चा आयोजित

'आपदा प्रबंधन में नई तकनीक की उपयोगिता' विषय पर 5 जुलाई को प्राधिकरण सभाकक्ष में परिचर्चा का आयोजन किया गया। अतिथि वक्ताओं ने नई तकनीक के विभिन्न माध्यमों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी), मशीन लर्निंग आदि की उपयोगिता पर अपने विचार रखे। आपदा प्रबंधन में इनके बेहतर इस्तेमाल पर प्रकाश डाला। आज डेटा का अथाह भंडार मौजूद है। लेकिन इसका सही विश्लेषण और वाजिब इस्तेमाल दोनों चुनौतीपूर्ण हैं।

परिचर्चा की शुरुआत करते हुए प्राधिकरण के माननीय सदस्य श्री मनीष कुमार वर्मा ने प्राधिकरण के कार्यों के बारे में आमंत्रित अतिथि वक्ताओं को विस्तार से बताया। आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं शमन गतिविधियों और जन जागरूकता अभियान के बारे में प्रभावी तरीके से अपनी बात रखी। उन्होंने अपने संबोधन में बालासोर ट्रेन हादसे का खास तौर पर जिक्र किया। कहा कि आज के दौर में हमें सेंट्रीफ्यूगल डिजास्टर (अपकेंद्री आपदा) से जूझने के लिए भी हमेशा तैयार रहना होगा। ऐसी आपदाएं जो हमारी धरती की सीमा में घटित नहीं होतीं, पर उसका प्रभाव हम पर गहरा होता है। पिछले महीने ओडिशा के बालासोर में हुआ ट्रेन हादसा, ऐसी ही आपदाओं में शुमार था। इस हादसे में बिहार के करीब सवा सौ लोग हताहत हुए। श्री वर्मा ने बताया कि पीड़ित परिवारों को प्राधिकरण ने जिस तरह फौरी सहायता पहुंचाई, वह एक मिसाल है। स्वयंसेवी संस्थाओं की मदद से उनके घरों तक राशन पहुंचाया गया, प्राधिकरण कर्मियों ने आपस में चंदा एकत्रित किया और सहायता राशि उनके परिजनों तक पहुंचाई। प्राधिकरण के पदाधिकारी व प्रोफेशनल्स गांवों में गए और पीड़ित एक–एक परिवार से मिले। श्री वर्मा ने कहा कि यह तो हई फौरी मदद की बात, इन परिवारों को दीर्घकालिक सहायता पहुंचाने की दिशा में भी प्राधिकरण प्रयासरत है। सक्षम एजेंसियों से हम लगातार बातचीत कर रहे हैं।

बिहार मौसम सेवा केंद्र के संयुक्त निदेशक (तकनीक) डॉ. सी.एन. प्रभु ने प्रजेंटेशन के माध्यम से अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में आपदा प्रबंधन में एआई की बड़ी भूमिका होने वाली है। मौसम सेवा केंद्र के कार्यों को रेखांकित करते हुए डॉ. प्रभु ने बताया कि बिहार की हर पंचायत में वर्षामापक यंत्र लगाया गया है, जो हर 15 मिनट पर वर्षापात के आंकड़े देता है। आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि कई बार एक ही प्रखंड में कुछ पंचायतों में अत्यधिक बारिश होती है और कुछ पंचायतों

में सूखा पड़ जाता है। यह विश्लेषण हम सरकार में उच्च स्तर तक पहुंचाते हैं। इससे नीति निर्धारण में मदद मिलती है।

रविवार व सारंगा स्वर जैसी पत्रिकाओं से जुड़े रहे वरिष्ठ पत्रकार विजय कुमार ने कहा कि नई तकनीकी की वजह से मुद्रित माध्यमों की संख्या कम होती जा रही है। हाल में कई मशहूर प्रकाशन बंद हुए। यह एक अलग तरह की विपदा है। लेकिन इसी नई तकनीक से आपदा के क्षेत्र में बेहतर काम किया जा सकता है। आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में यह वरदान साबित हो सकता है। मानवजनित आपदाओं को रोकने में इसकी अहम भूमिका हो सकती है। उन्होंने सलाह दी कि आपदाओं के प्रति जागरूकता अभियान में प्राधिकरण को मीडिया का सहयोग लेना चाहिए। साथ ही मीडियाकर्मियों के लिए समय–समय पर आपदाओं के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए।

टाटा एआईजी के पूर्व अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक कौशल किशोर ने प्राधिकरण के कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि बीमा सेक्टर में मेरा 40 वर्ष का अनुभव है। रिस्क मैनेजमेंट के क्षेत्र में हम लोगों ने काफी काम किया है। आप लोग लगभग यही काम आपदा प्रबंधन में कर रहे हैं। नई तकनीक के सहारे हमारे पास आंकड़ों की कमी नहीं है। इसका सही इस्तेमाल भी एक बड़ी चुनौती है। डेटा के सही विश्लेषण और उचित इस्तेमाल से आम जन का कल्याण निश्चित हो सकता है। आपदाओं में कमी लाई जा सकती है। जान–माल की क्षति को रोका जा सकता है।

दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड के सदस्य श्री सुनील कुमार सिंह ने कहा कि शहरों में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में अनधिकृत कॉलोनियों सबसे बड़ी बाधक हैं। कॉलोनाइजर अवैध तरीके से झुग्गी–झोपड़ी कॉलोनियां बसा देते हैं। वहां न पानी की व्यवस्था होती है, न रास्ते सही होते हैं। अग्निशमन वाहनों का पहुंचना चुनौती भरा होता है। श्री सिंह ने जिले और राज्य की तरह गांव स्तर पर भी आपदा प्रबंधन की नीति बनाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि गांव में अगर कोई मकान बनाता है, तो उसके लिए भी किसी तकनीकी विशेषज्ञ तथा पंचायत या ग्राम प्रधान की अनुमति आवश्यक होनी चाहिए।

वरिष्ठ पत्रकार अरुण सिन्हा ने कहा कि नई तकनीक से पूर्व चेतावनी प्रणाली निश्चित रूप से दुरुस्त होगी। इससे नुकसान रुकेगा। आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में जैसा कि श्री मनीष वर्मा जी ने कहा हर चीज अंतर्निर्मित (इनबिल्ट) होनी चाहिए। कोई भी आपदा की स्थिति में किसी संस्थान या विभाग के किस आदमी की क्या जवाबदेही होगी, यह पूरी तरह स्पष्ट होना चाहिए। अपार्टमेंट में आमतौर पर देखा जाता है कि आग लगने की घटनाएं होती हैं। वहां अग्निशमन यंत्र भी होता है, लेकिन उसे चलाना कोई नहीं जानता। आपदारोधी भवन बनने चाहिए। इसे लेकर कानून अगर है, तो इन्हें कायदे से लागू करना चाहिए। कानून बन जाते हैं, पर लागू सही तरीके से नहीं होते हैं। इसकी वजह से समस्याएं खड़ी होती हैं। श्री सिन्हा ने आगे कहा कि हल्की बरसात में ही शहरों में पानी भर जाता है। शहरों में बाढ़ की रोकथाम के लिए नदियों को पुनर्जीवित करने की जरूरत है। शहरों में ड्रेनेज सिस्टम थे ही नहीं या खत्म हो गए। डेवेलपमेंट को डिजास्टर से जोड़ने की जरूरत है। यह काम प्राधिकरण कर रहा है, सुकून की बात है।

इस मौके पर भारत सरकार के सेवानिवृत्त पदाधिकारी शांति कुमार बनर्जी ने भी अपने विचार रखे। बांग्लादेश में उच्चायोग में अपनी पदस्थापना के दौरान उन्होंने वहां के अपने अनुभव साझा किए। बताया कि आपदाओं से बचने के लिए वहां के लोग कैसे जुगाड़ तकनीक का सहारा लेते हैं। जीवन बचाते हैं।

इस मौके पर प्राधिकरण के माननीय उपाध्यक्ष डॉ. उदय कांत ने बताया कि कैसे प्राधिकरण नई तकनीक के सहारे फ्लैगशिप कार्यक्रमों को बखूबी संचालित कर रहा है। साथ ही देश के लब्ध प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थानों (आईआईटी, एनआईटी, आईआईएससी आदि) और प्राधिकरण के बीच हुए समझौते और सहमतियों की जानकारी दी। अंत में प्राधिकरण के सचिव श्री मीनेंद्र कुमार ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

(C) छोटी डिवाइस ठनके से करेगी रक्षा

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), पटना के साथ संयुक्त रूप से कार्यक्रम करने हेतु प्रोजेक्ट वर्क के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है और अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है। निदेशानुसार आईआईटी, पटना की टीम द्वारा वज्रपात अलर्ट के सूचनार्थ छोटी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तैयार किया गया जिसका सफल परीक्षण प्राधिकरण के समक्ष किया गया। उक्त डिवाइस को वज्रपात से बचाव के लिए काफी उपयोगी पाया गया और इसके बड़े पैमाने पर उत्पादन की भी जरूरत महसूस की गयी। आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही हेतु आईआईटी, पटना ने सर्वप्रथम सहमति पत्र (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने का प्रस्ताव दिया ताकि कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जा सके।

2. **राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी)**, पटना द्वारा दिए गए प्रस्ताव के अनुसार सहमति पत्र (एमओयू) तैयार कर प्राधिकरण में समर्पित किया गया है। माननीय उपाध्यक्ष द्वारा उसमे कुछ सुझाव दिए गए हैं जिसे उसमे समाहित कर पुनः अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया। एनआईटी, पटना द्वारा प्राधिकरण की ओर से दिए सुझावों को ड्राफ्ट में शामिल किया जा रहा है ताकि एमओयू पर हस्ताक्षर करने के उपरांत कार्य शीघ्र शुरू हो सके। इस सन्दर्भ में डॉ अंजलि शर्मा से संपर्क कर तिथि निर्धारित शीघ्र करने हेतु निदेशित किया गया है।

3. **बिहार स्टेट डिजास्टर रिसोर्स नेटवर्क (बीएसडीआरएन)** का मोबाइल ऐप गूगल प्लेस्टोर से डाउनलोड कर उसका उपयोग किया जा सकता है। इस सन्दर्भ में सभी जिलाधिकारी को पत्र भेजा गया है। इस ऐप के व्यापक इस्तेमाल हेतु कार्ययोजना बनाई जा रही है। अभी तक 70 से ज्यादा डाउनलोड किया जा चुका है। बीएसडीआरएन मोबाइल ऐप का विभिन्न विभागों में व्यापक उपयोग बढ़ाने हेतु अपर मुख्य सचिव, आपदा प्रबंधन को पत्र भेजा गया है ताकि आपदाओं के दौरान हताहतों को त्वरित सहायता प्रदान की जा सके।

4. **केंद्रीय विश्वविद्यालय दक्षिण बिहार, गया** में एनआईडीएम, नई दिल्ली के सहयोग से प्रतिकूल मौसम की चरम स्थितियों में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के उपायों (Disater Risk Reduction Measure for Extreme Weather Events) विषय पर चार दिवसीय परिचर्चा कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमे सरकारी पदाधिकारियों तथा फैकल्टी मेंबर्स ने भाग लिया। उक्त कार्यक्रम में प्राधिकरण द्वारा तकनीकी सहयोग प्रदान किया गया।

6. **आपदा के दौरान मीडिया की भूमिका** विषय पर एकदिवसीय कार्यशाला का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ उपस्थापित किया गया है, जो विचाराधीन है। इस कार्यक्रम में प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग शामिल होंगे। इस कार्यशाला के माध्यम से मीडिया की जिम्मेदारी और आपदाओं के दौरान उनकी व्यापक भूमिका के सन्दर्भ में चर्चा अपेक्षित है।

(D) आपदा जागरूकता हेतु श्रावणी व मलमास मेले में नुक्कड़ नाटकों का मंचन

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के बैनर तले विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले में कांवरिया पथ पर और राजगीर के मलमास मेले में आपदाओं के प्रति जन–जागरूकता हेतु नुक्कड़ नाटकों का मंचन किया जा रहा है। विभिन्न नाट्य संस्थाओं और कला जत्था से जुड़े कलाकार डूबने से बचाव और वज्रपात से सुरक्षा विषय पर नाटकों का मंचन कर रहे हैं। आठ से 10 कलाकारों का दल परंपरागत वाद्य यंत्रों के साथ नुक्कड़ नाटक मंचित कर रहा है। इसे देखने श्रद्धालुओं और आम लोगों की भीड़ उमड़ रही है।

कांवरिया पथ पर विभिन्न घाटों, कांवरिया विश्राम स्थलों व धर्मशालाओं के निकट नुक्कड़ नाटकों का मंचन किया जा रहा है। अजगैबीनाथ, जहाज घाट, घांघी बेलारी, सुल्तानगंज बाजार, कुमारसार, शिवलोक, असरगंज और मनिया आदि जगहों पर नाटक मंचित किए गए हैं। इसी तरह नालंदा जिले के राजगीर के प्रसिद्ध मलमास मेले में अंबेदकर चौक, कुंड निकास द्वार, किला मैदान आदि जगहों पर नाटक मंचित किए गए हैं। दोनों ही जगहों पर मेला खत्म होने तक अगस्त माह में भी यह कार्यक्रम जारी रहेगा। नालंदा, भागलपुर, मुंगेर व बांका के जिला प्रशासन के सहयोग से जन जागरूकता का यह बड़ा अभियान चलाया जा रहा है।

(E) जीविका दीदियों को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से "मास्टर ट्रेनर्स" का प्रशिक्षण

जीविका दीदियों को "आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन" विषय पर प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से सभी जिलों के चयनित क्षेत्रीय समन्वयक एवं सामुदायिक समन्वयक को राज्यस्तरीय मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण देकर कर प्रशिक्षित किया गया है। इसी कड़ी में राज्य के सभी प्रखण्ड परियोजना प्रबंधकों एवं प्रबंधक–सामाजिक विकास को राज्यस्तरीय मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। राज्यस्तरीय प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर्स के माध्यम से जीविका दीदियों को प्रशिक्षण देकर जागरूक किया जा रहा है।

माह जुलाई 2023 में चार बैचों में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में 148 मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षित किया गया, जो इस प्रकार हैः–

क्र0 सं0	दिनांक	प्रतिभागी जिला	प्रतिभागियों की संख्या
1	10–12 अगस्त, 2021	पूर्णिया, अररिया, मधेपुरा एवं मधुबनी	27
2.	01–03 सितम्बर, 2021	मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी एवं शिवहर	22
3.	14–16 सितम्बर, 2021	गोपालगंज, प0 चम्पारण, पूर्वी चम्पारण एवं सिवान	28
4.	20–22 अक्टूबर, 2021	भागलपुर, दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय एवं कटिहार	31
5	16–18 नवम्बर, 2021	सहरसा, सुपौल एवं किशनगंज	17
6	07–09 दिसम्बर, 2021	लखीसराय, भोजपुर, बक्सर, सारण एवं वैशाली	32
7	21–23 दिसम्बर, 2021	मुंगेर, नालंदा, नवादा, बांका एवं वैशाली	29
8	02–04 मार्च, 2022	गया, जहनाबाद एवं अरवल	21
9	14–16 मार्च, 2022	कैमूर, औरंगाबाद, रोहतास एवं पटना	21
10	29–31 मार्च, 2022	शेखपुरा, पटना, जमुई एवं खगड़िया	23
11	20–22 फरवरी, 2023	भोजपुर, जहानाबाद, बांका, रोहतास, बेगूसराय, लखीसराय, किशनगंज, नालंदा, कैमूर, गया, शिवहर एवं सीतामढ़ी	28
12	05–07 जून, 2023	पटना एवं भोजपुर	39
13	12–14 जून, 2023	बक्सर एवं कैमूर	31
14	19–21 जून, 2023	रोहतास एवं नालन्दा	40
15	26–28 जून, 2023	गया एवं नवादा	40
16	03–05 जुलाई, 2023	अरवल, औरंगाबाद एवं प0 चम्पारण	36
17	10–12 जुलाई, 2023	मुजफ्फरपुर, वैशाली एवं शिवहर	38
18	17–19 जुलाई, 2023	पूर्वी चम्पारण एवं मधेपुरा	37
19	24–26 जुलाई, 2023	सीतामढ़ी एवं सारण	37
		कुल	577

(F) "सुरक्षित तैराकी" कार्यक्रम के अंर्तगत बालक/बालिकाओं का समुदाय स्तर पर तैराकी एवं जीवन रक्षा कौशल का प्रशिक्षण

जिला प्रशासन के द्वारा_समुदाय स्तर चिन्हित प्रशिक्षण स्थलों पर 6–18 आयु वर्ग के बालक –बालिकाओं का प्रशिक्षण प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर्स के सहयोग से किया जाता है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, पटना, वैशाली, खगड़िया, बेगूसराय, भोजपुर, गया, बांका, गोपालगंज, कटिहार, सारण एवं पूर्णिया के द्वारा उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत बालक –बालिकाओं का 12 दिवसीय तैराकी एवं जीवन रक्षा कौशल विकास के प्रशिक्षण को सम्पन्न करवाया जा रहा है। यह प्रशिक्षण उल्लिखित जिलों के चिन्हित प्रखंडों के अंतर्गत चयनित घाटों पर बनाए गए **अस्थायी तरणताल** में प्रदान किया जाता है

उल्लिखित जिलों के विभिन्न प्रखंडों में चिह्नित साइट्स पर जून माह 2023 तक कुल 3444 बालक/बालिकाओं को तैराकी एवं जीवन रक्षा कौशल का प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है। जुलाई माह 2023 में समुदाय स्तर सम्पन्न हुए प्रशिक्षण का विवरण निम्नलिखित है :–

क्र0 सं0	जिला का नाम	प्रखण्ड/साइट	प्रशिक्षण की तिथि (जुलाई माह 2023)	बैचों की संख्या	प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले बालक व बालिकाओं की संख्या (सीओ व मास्टर ट्रेनर्स से प्राप्त सूचना के अनुसार)
01	गया	टनकुप्पा (टनकुप्पा,बरडीहा)	29 .06 .2023 से 11.07.2023 12 .07 .2023 से 23.07.2023 15.07 .2023 से 26 .07.2023	03	90
02	सारण	सोनपुर सबलपुर घाट	21 .06 .2023 से 02.07.2023	01	30
03	कटिहार	मनसाही, कोढ़ा एवं फलका	22.06 .2023 से 03.07.2023 04.07 .2023 से 15.07.2023 16.07 .2023 से 27.07.2023	09	270
			कुल		390

जुलाई माह 2023 में कुल 03 जिलों के विभिन्न प्रखंडों में चिह्नित साइट्स पर कुल 390 बालकों को तैराकी एवं जीवन रक्षा कौशल का प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इस प्रकार अभी तक कुल 3444 + 390 = 3834 बालक/बालिकाओं को तैराकी एवं जीवन रक्षा कौशल का प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है।

(G) एनसीसी शिविर में आपदाओं के बारे में जागरूकता/संवेदीकरण एवं मॉकड्रिल

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा एनसीसी उड़ान एवं एसडीआरएफ के सहयोग से एनसीसी के कैडेट्स को **सड़क सुरक्षा के उपायों, प्राथमिक उपचार एवं अन्य प्राकृतिक एवं मानवजनित आपदाओं के बारे में जागरूक किया जाता है।** राज्य के विभिन्न जिलों में आयोजित होनेवाले एन. सी. सी . शिविरों के दौरान **संवेदीकरण** सम्पन्न करवाया जाता है। **मॉकड्रिल का भी आयोजन किया जाता है।** डूबने की घटनाओं की रोकथाम से बचाव के उपाय, ठनका से बचाव के उपाय, भूकंप से बचाव हेतु हस्त पुस्तिकाओं / प्रचार –प्रसार सामग्रियों का वितरण किया जाता है । एस0डी0आर0एफ0 के द्वारा अस्पताल पूर्व चिकित्सा विषय पर प्रशिक्षण तथा विभिन्न आपदाओं से बचाव हेतु मॉकड्रिल करवाया जाता है। जून माह, 2023 तक उल्लिखित कार्यक्रम में कुल 56 कैम्स में 24013 एन. सी. सी. कैडेट्स ने भाग लिया। जुलाई माह में 2023 कुल 08 एन० सी० सी ० शिविरों में विभिन्न तिथियों को उल्लिखित कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कुल 2372 कैडेट्स ने विभिन्न गतिविधियों में भाग लिया । इस प्रकार अभी तक कुल 64 कैम्पस में कुल 26385 कैडेट्स ने इस कार्यक्रम में भाग लिया ।

(H) अनुभवी राजमिस्त्रियों के प्रशिक्षण हेतु एनएसडीसी से वार्ता

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने आवासीय भवनों समेत अन्य संरचनाओं को भूकंप के दौरान होनेवाले नुकसान को कम करने के उद्देश्य से राज्य भर में असैनिक अभियंताओं व अनुभवी राजमिस्त्रियों को बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण देने के लक्ष्य रखा है। इसके अंतर्गत प्रथम चरण में लगभग 5,000 अभियंताओं, वास्तुविदों एवं संवेदकों तथा करीब 20,000 अनुभवी राजमिस्त्रियों को भूकम्परोधी निर्माण तकनीक का प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

आपदा प्रबंधन के बदले परिदृश्य में भूकंपरोधी भवनों के निर्माण को बढ़ावा देने एवं पूर्व में निर्मित मकानों की रेट्रोफिटिंग कर उन्हें भूकंपरोधी बनाने की दिशा में प्राधिकरण कार्य कर रहा है। इसके लिए आवश्यक है कि निर्माण कार्य में संलग्न सभी साझेदारों का क्षमतावर्द्धन किया जाए तथा आमजन को भूकंपरोधी भवनों के निर्माण के संदर्भ में जागरूक किया जाए। अनुभवी राजमिस्त्रियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम को बेहतर और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से देश के लब्ध प्रतिष्ठित संस्थान पटना स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.टी.) द्वारा एक कांसेप्ट नोट प्राधिकरण को समर्पित किया गया है जिसके समीक्षोपरान्त आई.आई.टी. को प्रस्ताव में संशोधन हेतु कहा गया है। राजमिस्त्रियों के प्रशिक्षण के लिए नेशनल स्किल डेवलेपमेंट कौंसिल (एनएसडीसी) से बातचीत की गई है। एनएसडीसी के सीईओ और प्राधिकरण के माननीय उपाध्यक्ष के स्तर पर हुई वार्ता के उपरान्त कौंसिल की उप महाप्रबंधक सुश्री भावना वर्मा से ईमेल प्राप्त हुआ है जिसे मा० उपाध्यक्ष के अवलोकनार्थ भेजा गया है।

जिला स्तर पर आपदाओं से बचाव हेतु जन–जागरूकता एवं माकड्रिल कार्यक्रम

जिला स्तर पर माकड्रिल टीम के प्रशिक्षण के लिए एनडीआरएफ व एसडीआरएफ एवं अग्निशाम सेवा के सहयोग से प्रशिक्षण मॉडयूल तैयार किया गया है। तथा सितम्बर माह से सिविल डिफेन्स के ट्रेनिंग सेंटर में प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया जाना है। जिला स्तर पर आपदाओं से बचाव हेतु जन–जागरूकता एवं माकड्रिल कार्यक्रम के आयोजन के सम्बन्ध में आवश्यक विभिन्न प्रकार के इक्विपमेंट जिला स्तर से नियमानुसार निविदा या कोटेशन प्रक्रिया के माध्यम से क्रय हेतु आवश्यक राशि 02,39,000/– सभी जिलों को भेजी गयी है। जिलों में अब तक खरीद प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। इस मद्देनजर आवश्यक विभिन्न प्रकार के इक्विपमेंट को क्रय करने से सम्बंधित स्मार पत्र पुनः जिलों को सचिव स्तर से भेजा गया है।

आरवीएस गाइडलाइन

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और आईआईटी, पटना के बीच संपन्न करार के तहत रैपिड विजुअल स्क्रीनिंग (आरवीएस) गाइडलाइन तैयार कर ली गई है। आईआईटी पटना द्वारा आरवीएस गाइडलाइन का

अन्तिम प्रारूप तैयार कर प्राधिकरण को समर्पित किया गया है। इस मार्गदर्शिका के जरिये पुराने मकान को बिना तोड़ फोड़ किए, उसे आंखों से देख कर और छूकर यह पता लगाया जा सकेगा कि यह मकान भूकंप को बर्दाश्त कर पाएगा या नहीं। आमजन को भूकंपरोधी भवनों के निर्माण के लिए जागरूक करने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम है। उक्त मार्गदर्शिका को संपुष्टि (वेट्टिंग) हेतु विशेषज्ञों को भेजी जानी है। इस हेतु अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है।

बी एस टी एन (बिहार सीस्मिक टेलीमेट्री नेटवर्क) की स्थापना

बिहार सीस्मिक टेलीमेट्री नेटवर्क (बीएसटीएन) की स्थापना से संबंधित उपकरणों की प्राप्ति हेतु बिहार मौसम सेवा केंद्र द्वारा तैयार किये गए आरएफपी (प्रस्ताव के लिए अनुरोध) को पुनरीक्षण व संपुष्टि (वेट्टिंग) हेतु विशेषज्ञों को भेजा गया था। उनसे प्राप्त सुझाव के शामिल करते हुए संशोधित आरएफपी बिहार मौसम सेवा केंद्र से प्राप्त हुआ जिसे अग्रेतर कार्यवाही हेतु सचिव को पृष्ठांकित किया गया। इधर, राज्य के विभिन्न जिलों में नवनिर्मित बीएसटीएन फील्ड स्टेशन में जल रिसाव की सूचना मिली थी। इस आलोक में भवन निर्माण निगम एवं प्राधिकरण की संयुक्त टीम ने छपरा, गोपालगंज, दरभंगा, मुजफ्फरपुर निरीक्षण के दौरान पाया था कि जल रिसाव की समस्या को ठीक कर लिया गया है। शेष स्टेशन भवनों की पूर्णता के सम्बन्ध में प्रतिवेदन भवन निर्माण निगम द्वारा अपेक्षित है।

भूकंप सुरक्षा क्लिनिक सह परामर्श केंद्र

1. राजकीय पॉलिटेक्निक, दरभंगा में निर्माणाधीन भूकंप सुरक्षा के लिए क्लिनिक सह परामर्श केंद्र के निर्माण का कार्य लगभग पूर्ण हो गया है। प्राचार्य को पूर्णता प्रतिवेदन प्राधिकरण को भेजने का अनुरोध किया गया है।

2. मुजफ्फरपुर इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एमआईटी) में स्थापित भूकंप सुरक्षा क्लिनिक सह परामर्श केंद्र को मल्टी डिजास्टर सेफ्टी क्लिनिक के रूप में अपग्रेड करने हेतु इंस्टिट्यूट के तरफ से एक प्रस्ताव प्राधिकरण में प्रस्तुत किया गया। एमआईटी की टीम ने 26 जुलाई को प्राधिकरण में एक प्रजेंटेशन दिया जिसके अवलोकनोपरांत माननीय उपाध्यक्ष एवं सदस्य द्वय द्वारा कतिपय सुझाव दिए गए, जिसके आलोक में संशोधित प्रस्ताव अपेक्षित है।

(I) आईआईएससी, बेंगलुरु के विशेषज्ञों के साथ बैठक

कोसी बेसिन के लिये बाढ़ पूर्वानुमान मॉडल विकसित करने के विषय पर बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस (आईआईएससी), बेंगलुरु के साथ एक सहमति पत्र (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया है। इससे संबन्धित एक बैठक दिनांक 31/07/2023 को प्राधिकरण सभाकक्ष में हुई। इस बैठक में प्राधिकरण के माननीय उपाध्यक्ष, माननीय सदस्य (श्री राय), जल संसाधन विभाग के अपर मुख्य सचिव एवं आईआईएससी, बेंगलुरू, बिहार मौसम सेवा केंद्र, प्राधिकरण के प्रोफेशनल्स, गूगल, एफएमआईएससी तथा बीआईएजी के प्रतिनिधि शामिल रहे। बेंगलुरू के प्रतिनिधि ऑनलाइन बैठक में जुड़े।

बिहार के ऐतिहासिक धरोहर भवनों के रखरखाव के सम्बन्ध में

बिहार के ऐतिहासिक धरोहर भवनों के रखरखाव सम्बंधित विषय पर एक शोध प्रस्ताव प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत किया गया है। एन.आई.टी. पटना के प्रो. संजीव सिन्हा द्वारा फोटोग्रामेट्री तकनीक का उपयोग करते हुए इनके रेट्रोफिटिंग विषय पर आगे का कार्य किया जाना है। इस सम्बन्ध में प्रो. सिन्हा द्वारा करवाई की जा रही है।

Soil Liquefaction Study से सम्बंधित एन.आई.टी. का प्रस्ताव

एन.आई.टी. पटना के प्रो. संजीव सिन्हा द्वारा भूकम्प संवेदनशील जिलों के Soil Liquefaction Study से सम्बंधित एमओयू का एक ड्राफ्ट प्राधिकरण को समर्पित किया गया है।

(J) बालासोर दुर्घटना के पीड़ितों की सेवा में मिशनरी उत्साह से लगा बीएसडीएमए

बालासोर ट्रेन दुर्घटना में बिहार के पीड़ित परिवारों की सहायतार्थ प्राधिकरण ने अपने स्तर पर कई मोर्चों पर एक साथ मिशनरी उत्साह से कार्य प्रारंभ किया। पीड़ितों के परिवार की स्थिति के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के साथ, इन परिवारों से जुड़ने और जहां भी जरूरत हो सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया गया। खासकर घायलों के इलाज पर बीएसडीएमए की पहल को सरकार के अन्य विभागों ने गंभीरता से लिया। मुख्यमंत्री ने हादसे में घायलों का समुचित उपचार जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों द्वारा अपनी निगरानी में कराये जाने के निर्देश दिये। इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश को आपदा प्रबंधन विभाग के माध्यम से सभी जिलाधिकारियों को अवगत करा दिया गया। प्राधिकरण से जुड़े अधिकारियों ने पीड़ितों को कई तरह से सहायता प्रदान की। लापता होने के मामले में डीएनए मिलान के लिए उनकी मदद करना, जीवित बचे लोगों और पीड़ितों के परिजनों को रेलवे, राज्य सरकार से मुआवजे के लिए मार्गदर्शन करना आदि इसमें शामिल है।

माननीय उपाध्यक्ष ने सरकारी विभागों और गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से राहत व पुनर्वास पर काम करने का निर्देश दिया और इस उद्देश्य के लिए आगे बढ़ने का रास्ता खोजने की आवश्यकता पर बल दिया ताकि एक उदाहरण प्रस्तुत किया जा सके और इससे एसओपी विकसित करने में मदद मिल सके। इससे राज्य में भविष्य में ऐसे हादसे, जो राज्य की भौगोलिक सीमा में नहीं हुए, लेकिन बिहार के लोग इससे प्रत्यक्ष प्रभावित हुए, उनके राहत व पुनर्वास कार्य के लिए रूपरेखा तैयार होगी। इसे ध्यान में रखते हुए 19–07–2023 को अपराह्न माननीय उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में मिश्रित मोड (भौतिक और ऑनलाइन) में 'बालासोर रेल दुर्घटना – बिहार के पीड़ितों का राहत, पुनर्वास' पर एक बैठक आयोजित की गई। इसमें चल रही गतिविधियों और दीर्घकालिक उपायों के रूप में निरंतर और क्या किया जा सकता है, इस पर विस्तृत चर्चा हुई।

श्री गोबिंदा दलाई ने पीड़ितों को संबंधित रेलवे क्षेत्र में रेलवे ट्रिब्यूनल के साथ दावा दायर करने की आवश्यकता के बारे में बताया। दावा दायर करने का समय दुर्घटना की तारीख से 01 वर्ष है। श्री आनंद बिजेता ने बताया कि रिलायंस फाउंडेशन (आरएफ) ने अब तक 64 परिवारों को मासिक राशन प्रदान किया है और इसे 01 वर्ष तक जारी रखा जाएगा। उनसे सभी हताहतों को कवर करने का अनुरोध किया गया, चाहे वे मृत या घायल श्रेणी में हों। बीआरएलपीएस के डॉ. रितेश ने कहा कि शिकायत निवारण प्रणाली (जीआरएस) की जरूरत है। उन्होंने प्रभावित परिवार के सदस्यों के लिए खाद्य सुरक्षा, आजीविका सहायता, प्रशिक्षण और कौशल आधारित कार्यक्रमों की आवश्यकता व्यक्त की। उन्होंने जहां भी संभव हो,

सरकार की किसी भी चल रही योजना में पीड़ितों को कवर करने के लिए सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा सभी पंचायतों को एक परिपत्र की आवश्यकता पर भी बल दिया।

बीआरएलपीएस (जीविका) के श्री नीरज ने जीविका द्वारा अस्पतालों में 'हेल्प डेस्क' सहायता की पेशकश की। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी आपदा के बाद पीड़ितों के परेशानी मुक्त पंजीकरण के लिए एक मोबाइल ऐप की आवश्यकता है। एनजीओ के श्री कमल कामथ ने बताया कि मधुबनी से लापता लोगों की सूची में से तीन और को मृत घोषित कर दिया गया है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की सुश्री जैकलीन जोसेफ ने कहा कि पुनर्वास योजना को अंतिम रूप दिया जाएगा और भविष्य की कार्यान्वयन योजना तैयार की जाएगी। वह पटना में जीविका दीदियों के साथ होने वाली अगली बैठक में सशरीर उपस्थित होना चाहती हैं।

माननीय सदस्य श्री पीएन राय ने प्रत्येक पीड़ित के लिए संपूर्ण डेटा जैसे प्राप्त राहत, अनुग्रह राशि, आवश्यक सहायता का प्रकार और उसके लिए कार्य योजना की आवश्यकता व्यक्त की। माननीय उपाध्यक्ष डॉ. उदय कांत ने पीड़ितों के पुनर्वास को सुनिश्चित करने के लिए तत्काल और दीर्घकालिक उपायों के लिए सभी ठोस प्रयासों की आवश्यकता जताई। इस परियोजना को मिशन मोड में चलाया जाना चाहिए। यह कल किसी भी आपदा के विरुद्ध प्रतिक्रिया का उदाहरण बन सकता है। उन्होंने इस मानवीय उद्देश्य में निस्वार्थ सेवा के लिए जीविका नेतृत्व और उनके अग्रिम सैनिकों के साथ–साथ इस कार्य में शामिल गैर सरकारी संगठनों को भी धन्यवाद दिया। जैसा कि निर्णय लिया गया है, आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा साझा की गई जानकारी के आधार पर पीड़ितों की सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा।

बिहार के सभी प्रभावित प्रखंडों से संबंधित जीविका दीदियों की एक कार्यशाला पटना में बुलाने का भी निर्णय लिया गया। बीआईएजी, आरएफ, टीआईएसएस, वाईवीएफ की उपस्थिति सुनिश्चित करने की सलाह दी गई। पीड़ितों द्वारा रेलवे दावा न्यायाधिकरण, पटना में दावे प्रस्तुत करने के लिए उनके चल रहे प्रयासों का विवरण जानने के लिए रेलवे अधिकारी जुड़े हुए थे। रेलवे से भी 1 अगस्त, 2023 को प्रस्तावित कार्यशाला के दौरान अपने इनपुट और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए उपस्थित रहने का अनुरोध किया गया। कार्यशाला के दौरान राज्य स्वास्थ्य विभाग और समाज कल्याण विभाग को भी उपस्थित रहने का अनुरोध किया गया।

2. बिहार के लिए Climate Resilient and Low Carbon उत्सर्जन विकास मार्ग

12 दिसंबर, 2015 को पेरिस में UNCCC (COP21) में 196 देश जलवायु परिवर्तन पर इस कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौते के लिए सहमत हुए। यह पेरिस समझौता निम्नलिखित संकल्प के साथ 04 नवंबर, 2016 को लागू हुआ। वैश्विक औसत तापमान में पूर्व–औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे की वृद्धि और बाद में नेताओं ने इस तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए प्रयासों को आगे बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। भारत ने 31 अक्टूबर–13 नवंबर, 2021 को ग्लासगो में निम्नलिखित के अनुसार पांच अमृत तत्वों (पंचामृत) के रूप में COP26 के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की।

- ☐ **2030 तक 500GW गैर–जीवाश्म ऊर्जा क्षमता तक पहुँचना।**
- ☐ **2030 तक अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का 50 प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा से।**
- ☐ **अब से 2030 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में एक अरब टन की कमी।**
- ☐ **2030 तक अर्थव्यवस्था में कार्बन तीव्रता को 2005 के स्तर से 45 प्रतिशत कम करना।**

☐ **2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करना।**

उपरोक्त लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत ने जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के स्थान पर नवीकरणीय/हरित ऊर्जा की ओर परिवर्तन शुरू कर दिया है और सौर ऊर्जा और हाइड्रोजन ऊर्जा के रूप में मिशन मोड के साथ शून्य कार्बन विकास पथ की ओर बढ़ रहा है। जलवायु के अनुकूल मुंबई बनाने के लिए, बृहन्मुंबई नगर

निगम (बीएमसी) ने 2050 तक शुद्ध–शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने के लिए मुंबई जलवायु कार्य योजना (एमसीएपी) तैयार की है।

बिहार संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) के समर्थन से जलवायु लचीले और कम कार्बन वाले विकास मार्ग पर चल रहा है। परियोजना " Climate Resilient and Low Carbon Development Pathways" के तहत, डीओईएफसीसी ने यूएनईपी के सहयोग से माननीय मुख्य सचिव की अध्यक्षता में संचालन समिति की बैठक आयोजित की। माननीय उपाध्यक्ष के अनुमोदन और निर्देश से प्राधिकरण की ओर से वरीय सलाहकार डा. अनिल कुमार ने यूएनईपी द्वारा इस संचालन समिति की बैठक सह अंतिम प्रस्तुति में भाग लेने लिया। ऐसा महसूस किया गया है कि बीएसडीएमए बिहार को सौर ऊर्जा और हाइड्रोजन ऊर्जा के क्षेत्र में विकसित राज्यों के समूह में शामिल करने के लिए जागरूकता, संवेदनशीलता और क्षमता निर्माण के लिए नेट शून्य उत्सर्जन शासन के दौरान विशाल संभावनाओं का दोहन करने के लिए इस संबंध में पहल कर सकता है। शुद्ध शून्य कार्बो उत्सर्जन मार्ग को आगे बढ़ाने के लिए बीएसडीएमए की ओर से कार्रवाई के लिए विस्तृत प्रस्ताव तैयार करने पर सहमति और मंजूरी दे दी गई है। माननीय उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में 26 जुलाई, 2023 को सुबह बीएसडीएमए में " Climate Resilient and Low Carbon Development Pathways" पर एक यूएनईपी के द्वारा प्रस्तुति आयोजित की गई। इसमें यूएनईपी की पूरी राष्ट्रीय टीम, माननीय सदस्यों और पूरे पेशेवरों ने व्यापक रूप से भाग लिया। प्रस्तुतिकरण और उसके बाद की चर्चा ने जागरूकता, संवेदीकरण और क्षमता निर्माण पर ध्यान देने के साथ शुद्ध कार्बन उत्सर्जन मिशन के प्रयासों को आगे बढ़ाने में बीएसडीएमए की भूमिका को उजागर किया।

(K) रोडमैप व एक्शन प्लान को अपडेट करने का कार्य प्रगति पर

डीआरआर रोडमैप को अपडेट (अद्यतनीकरण) करने का कार्य प्रगति पर है। जुलाई, 2023 के अंत तक, यूनिसेफ ने डीआरआर रोडमैप पर अब तक हुई प्रगति के लिए 28 विभागों में से प्रत्येक के साथ विस्तृत चर्चा पूरी की और 2023–25, 2025–27, 2027–30 और 2030 के लिए संभावित कार्य योजना को संशोधित किया। यूनिसेफ द्वारा जिलों के लिए Composite Vulnerability Index पर एक प्रस्तुति दी गई ताकि उन्हें विभिन्न आपदाओं के प्रति उनकी भेद्यता के आधार पर फिर से समूहीकृत किया जा सके। कार्यप्रणाली पर मुख्य रूप से चर्चा की गई जिसमें सभी सलाहकारों और वरिष्ठ सलाहकारों ने भाग लिया। यूनिसेफ को जल्द ही माननीय उपाध्यक्ष स्तर पर आगे की समीक्षा और प्रस्तुति के लिए सलाह दी गई थी।

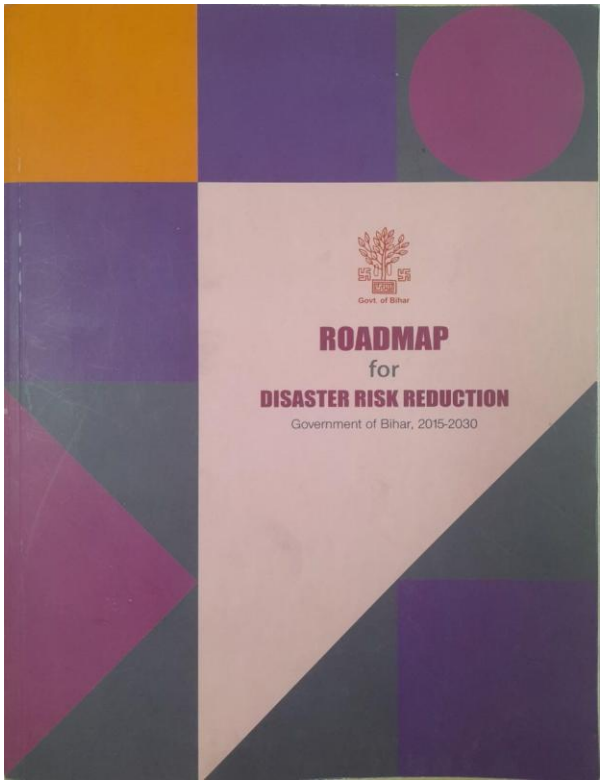

2. इसी तरह पूर्व में प्राधिकरण की ओर से प्रकाशित **हीट एक्शन प्लान** को भी अपडेट (अद्यतनीकरण) करने का कार्य साथ–साथ चल रहा है। बिहार के सभी 38 जिलों की हीट भेद्यता सूचकांक के लिए आईआईपीएच, गांधीनगर से संपर्क किया गया था। मृत्यु और जन्म के साथ–साथ जलवायु के संबंध में 10–15 साल के संग्रह डेटा के लिए आईआईपीएच की इच्छानुसार, इसे प्राप्त करने और अक्टूबर, 2023 तक आईआईपीएच को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था। बिहार हीट एक्शन प्लान का अद्यतनीकरण कार्य दिसंबर, 2023 तक पूरा करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

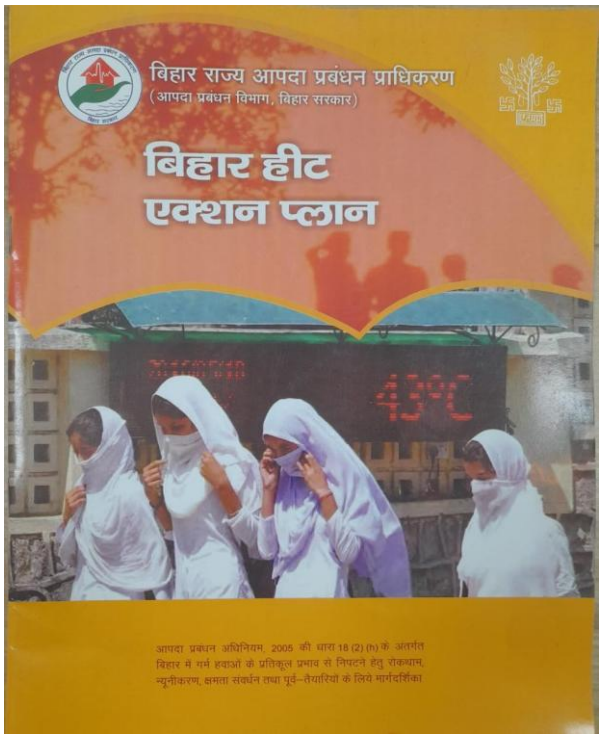

(L) अस्पताल अग्नि सुरक्षा कार्यक्रम

'अस्पताल अग्नि सुरक्षा कार्यक्रम' के तहत '16 बिंदु अग्नि प्रवणता सूचकांक' के आधार पर जुलाई माह में राज्य के कुल 318 अस्पतालों का निरीक्षण किया गया जिसमें 19 सरकारी एवं 299 निजी अस्पताल शामिल हैं। इन अस्पतालों का निरीक्षण प्राधिकरण के दिशा निर्देश में अग्निशाम सेवाएं के अधिकारियों द्वारा किया गया, जिसका विवरण निम्नवत हैः–

Month July -23, Update Status of Covid & Non-Covid Hospitals Fire Audit report Districtwise

Sr. No	District	Covid Hospital			Non-Covid Hospital		
		Governmental	Private	Total	Governmental	Private	Total
1	Patna	0	0	0	2	51	53
2	Nalanda	0	0	0	0	9	9
3	Rohtas	0	0	0	3	18	21
4	Bhabhua	0	0	0	1	3	4
5	Bhojpur	0	0	0	0	2	2
6	Buxar	0	1	1	0	4	4
7	Gaya	0	0	0	0	6	6
8	Jehanabad	0	0	0	0	5	5
9	Arwal	0	0	0	0	5	5
10	Nawada	0	0	0	1	7	8
11	Aurangabad	0	0	0	0	8	8
12	Chhapra	0	0	0	0	19	19
13	Siwan	0	0	0	0	0	0
14	Gopalganj	0	0	0	0	16	16
15	Muzaffarpur	0	0	0	0	8	8
16	Sitamarhi	0	0	0	0	9	9
17	Sheohar	0	0	0	0	1	1
18	Bettiah	0	0	0	0	0	0
19	Bagaha	0	0	0	1	0	1
20	Motihari	0	0	0	0	23	23
21	Vaishali	1	0	1	0	15	15
22	Darbhanga	0	0	0	2	19	21
23	Madhubani	0	0	0	0	20	20
24	Samastipur	0	0	0	0	10	10
25	Saharasa	1	1	2	0	2	2
26	Supaul	0	0	0	0	1	1
27	Madhepura	0	0	0	0	6	6
28	Purnea	0	0	0	0	16	16
29	Araria	0	0	0	1	11	12
30	Kishanganj	6	0	6	0	23	23
31	Katihar	0	0	0	2	15	17
32	Bhagalpur	0	0	0	0	9	9
33	Naugachhia	0	0	0	0	6	6
34	Banka	0	0	0	1	8	9
35	Munger	0	0	0	0	4	4
36	Lakhisarai	0	0	0	1	2	3
37	Shekhpura	0	0	0	0	0	0
38	Jamui	0	0	0	0	7	7
39	Khagaria	0	0	0	0	2	2
40	Begusarai	0	0	0	2	8	10
Total		8	2	10	11	297	308

इस प्रकार राज्य के अब तक कुल 9,978 अस्पतालों का अग्नि प्रवणता सूचकांक के आधार पर निरीक्षण किया जा चुका है।

(M) जुलाई माह की व्यय विवरणी

व्यय विवरणी (जुलाई 2023)		
1	व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएं	12,52,074
2	कार्यालय व्यय	3,52,071
3	इंधन	55,149
4	सुरक्षित तैराकी	12,36,485
5	कार्यशाला/ बैठक	1,02,339
6	कोशी नदी बेसीन कार्यशाला	5,000
7	अग्नि सुरक्षा	36,784
8	भूकंप सुरक्षा	16,650
9	सड़क सुरक्षा	41,200
10	गर्मी सुरक्षा	23,18,797
11	बाढ़ / सूखा	5,355
12	आकाशीय विद्युत	8,300
13	सी.डी.एम्.पी.	18,22,500
14	पशु आपदा	236
15	मुद्रण एवं प्रकाशन	550
16	जीविका दीदी प्रशिक्षण	20,24,917
17	दिव्यांगजन प्रशिक्षण	90,000
18	मेला प्रदर्शनी	25,000
19	बिहार दिवस 2023	14,280
20	विद्युत्	24,778
21	चिकित्सा	9,048
22	दूरभाष	10,971
23	वेतन (31-04)	20,40,371
24	"अपस्केलींग ऑफ़ आपदा मित्र"	4,81,08,278

(N) जन–जागरूकता के लिए मास मैसेजिंग

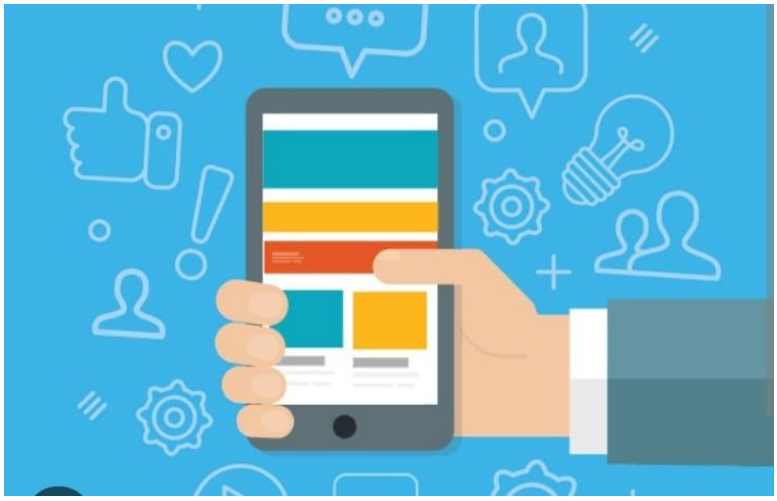

प्राकृतिक आपदाओं को हम पूरी तरह रोक तो नहीं सकते, परंतु बेहतर आपदा प्रबंधन एवं इसके सुदृढ़ीकरण से नुकसान को कम कर सकते हैं। इसके लिए आमलोगों को आपदा के खतरों से अवगत कराना जरूरी है। इसे ध्यान में रख प्राधिकरण की ओर से विभिन्न आपदाओं की स्थिति में 'क्या करें, क्या न करें' की जानकारी एसएमएस के माध्यम से लोगों को दी जाती है।

प्राधिकरण में जिला पदाधिकारी (38), एडीएम (38), बीडीओ (534), सीओ (534), प्रशिक्षित फोकल टीचर (1542), नाव एवं नाव मालिक (3820), पंचायत जनप्रतिनिधि (चयनित–207429, गैर चयनित–435699), जीविका दीदी– (148890), आशा कार्यकर्ता (77542) व आंगनबाड़ी सेविका (45946) के नंबर उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त प्राधिकरण द्वारा प्रशिक्षित अभियंताओं एवं राजमिस्त्रियों के नंबर भी मौजूद हैं। इस तरह लगभग 36 लाख नंबर पर सामूहिक संदेश संप्रेषण (मास मैसेजिंग) नियमित रूप से किए जाते हैं। जून, 2023 में कुल 4841698 मास मैसेजिंग किए गए। इसके जरिये वज्रपात और डूबने से बचाव की जानकारी लोगों को दी गई।